न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 08 / 2025

बउनवान

1. जुगलकिशोर प्रधान (मृतक) पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्राहमण
   1/1. मृतक लक्ष्मीनारायण प्रधान पुत्र श्री जुगलकिशोर जाति ब्राहमण
   1/1/1. मृतक गीता देवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण
   1/1/2. मृतक अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण
   1/1/2/1. उमा शर्मा पत्नि श्री अशोक कुमार जाति ब्राहमण
   1/1/2/2. सृष्टी प्रधान पुत्री श्री अशोक कुमार जाति ब्राहमण
   1/1/2/3. मोहित प्रधान पुत्र श्री अशोक कुमार जाति ब्राहमण
   1/1/2/4. युवराज प्रधान पुत्र श्री अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासीगण शीतला पाड़ा, बारां जिला बारां (राज०)
   1/1/3. अनिता शर्मा पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण पत्नि श्री संजय शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गणेश तालाब निगड़ी पुणे (महाराष्ट्र)
   1/1/4. सुनीता शर्मा पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण पत्नि श्री संतोष जाति ब्राहमण
   1/1/5. संगीता पुत्री श्री लक्ष्मीनारायण पत्नि श्री नितेश जाति ब्राहमण निवासी श्री विहार कॉलोनी बांगड़ नगर ब्यावर (राज०)
   1/1/6. हरिओम प्रधान पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी शीतला पाड़ा, बारां जिला वारां

2. मृतक बृजमोहन प्रधान पुत्र श्री मोतीलाल जाति ब्रहामण निवासी बारां जिला बारां
   2/1. मृतक राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजमोहन जाति ब्राहमण
   2/2. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी बारां हाल खाता मोहल्ला जोबनेर जिला जयपुर
   2/3. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बृजमोहन जाति ब्राहमण निवासी बारां हाल 2 एफ. 21 आवासन मण्डल रामगंजमण्डी जिला कोटा
   2/4. अरूणा बाला पुत्री श्री बृजमोहन पत्नि श्री बालशंकर जाति ब्राहमण निवासी राजभवन गठोर रोड़ ब्रहमपुरी जयपुर
   2/5. मंजू बाला शर्मा पुत्री श्री बृजमोहन पत्नि श्री डॉ० यतीश कुमार सनाढ्य निवासी पाटन रोड़ झालावाड

– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारा राजस्थान
2. मृतक गोपीलाल उर्फ गोपाल उर्फ मदनमोहन पुत्र श्री गौरधनलाल
   2/1. श्रीमति उषा पत्नि श्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
   2/2. बृजभूषण पुत्र श्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
   2/3. बृजमोहन पुत्र श्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
   2/4. सत्यनारायण पुत्र श्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
   2/5. पार्वती पुत्री श्री गोपीलाल पत्नि श्री लीलाधर जाति ब्राहमण निवासीगण रावण जी का चौक, बारां जिला बारां
3. कृष्णा तिवारी पुत्री श्री जुगल किशोर प्रधान पत्नि श्री सतीशचन्द तिवारी जाति ब्राहमण निवासी गुना (म०प्र०)

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 235, 237 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के यहां वि[illegible] लिये जाने बाबत

उपस्थिति– 1. श्री एन.के.सो[illegible] अभिभाषक (प्रार्थीगण)
2. श्री हरिओम [illegible] अभिभाषक [illegible]र्थी कम 2/1 ता 2/5)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आदेश दिनांक— 27.03.2026

प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त वाद में मूल वादी जुगल किशोर प्रधान व बृजमोहन शर्मा थे, दोनो का देहान्त हो चुका है, तथा उनके कायम मुकामान उक्त वाद में रिकॉर्ड पर लिये जा चुके हैं, जुगल किशोर प्रधान के पुत्र लक्ष्मीनारायण का भी देहान्त हो चुका है, उनके एक पुत्र अशोक प्रधान का भी देहान्त हो गया है। उक्त वाद में वर्ष 2010 से आज तक मूल वादी के परिवार के कई लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण तत्पश्चात् वर्ष 2020–21 में कोरोना के दौरान अन्य वादीगण की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कायम मुकामान एवं वारिसान बनायें जाने के पश्चात् उनकी तलवी के उपरान्त प्रकरण साक्ष्य वादी में निहित चला आ रहा है। उक्त प्रकरण में दिनांक 06.02.2023 पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई थी, दिनांक 16.03.2023 से दिनांक 05.12.2024 तक न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नहीं बैठे, इस कारण से दिनांक 09.01.2025 को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के पश्चात् दिनांक 06.02.2025 को पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर हो जाने के कारण पत्रावली में दिनांक 06.03.2025 से 500/— रूपये कोस्ट पर साक्ष्य हेतु अवसर दिया। दिनांक 17.04.2025 को वादी की ओर से मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया गया व जिरह हेतु दिनांक 22.05.2025 तारीख नियत की गई. उस दिन वादी जिरह हेतु उपस्थित आया परन्तु वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं की गई, जिरह का अवसर चाहा गया। उक्त दिनांक को उपस्थिति बाबत् वादी के बतौर गवाह, न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 22.05.2025 को जिरह हेतु न्यायहित में प्रतिवादी को एक ओर अवसर प्रदान किया गया तथा आगामी तारीख 12.06.2025 नियत की गई. उक्त दिनांक को भी वादी बतौर गवाह न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा न्यायालय की आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर करवाये गये, इस दिनांक को भी जिरह के लिए वकील प्रतिवादी ने अवसर चाहा गया तथा दिनांक 10.07.2025 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 10.07.2025 को वकील वादी ने गवाह/वादी को फोन कर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय के बैठने का समय 2.30 का बताया गया, वादी बारां में निवास करता है, इस कारण से वादी अपने निजी वाहन से 4.20 बजे न्यायालय में पहुंचा तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निवेदन किया कि मैं उपस्थित हूँ, मेरी जिरह करवा ली जाये परन्तु न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने झुंझलाते हुए कहा कि मेरा यही काम थोड़ी रह गया है, मैंने तो 4.15 बजे आपकी जिरह बंद कर दी है। वादी/गवाह के निवेदन करने के उपरान्त भी उसकी जिरह नहीं करवाई गई जबकि वहां पर वकील प्रतिवादी भी मौजूद थे, जो पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे हुए थे। उपरोक्त घटनाक्रम से वादीगण को उक्त न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व वकील प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार की दुर्भिसंधी होने की सम्भावना उनके आचरण एवं व्यवहार से प्रमाणित होती है। इसलिए वादीगण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अटरू के पीठासीन अधिकारी से उक्त मुकदमें के न्यायप्रिय निस्तारण की सम्भावना नहीं है, जिस कारण से वादीगण अपना मुकदमा बारां जिले में स्थित अन्य उपखण्ड न्यायालय में अन्तरण करवाना चाहते हैं। न्याय प्राप्ति के लिए उक्त प्रकरण का स्थानान्तरण किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के यहां विचाराधीन वाद संख्या 10/2013 बउनवान मुकदमा जुगलकिशोर बनाम सरकार को जिले के अन्य उपखण्ड अधिकारी के यहां अन्तरण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 2/1 ता 2/5 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा जवाब इस आशय का पेश किया कि गवाह को साक्ष्य हेतु कई बार अन्तिम अवसर प्रदान किये। कई बार अन्तिम अवसर दिए जाने के बाद भी गवाह के जिरह हेतु अनपुस्थित रहने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा साक्ष्वादी बंद की। जो विधि अनुरूप है। प्रार्थीगण द्वारा 2013 में पेश किया गये वाद के विचारण में वादीगण की सक्रिय भूमिका नहीं रही। वादीगण का वाद विचारण को लम्बा करने की नियत रही है। 2013 से लम्बित वाद में वादीगण द्वारा वाद के विचारण को लम्बा करने का प्रयास कर वाद विचारण को गतिहीन कर प्रतिवादीगण को न्याय प्राप्त करने से [illegible] हुए हैं। साथ ही वादीगण द्वारा वाद विचारण में सहयोग नहीं किया। प्रार्थीगण वादीगण को साक्ष्य करवाने हेतु कई अवसर दिए। पत्रावली 23.11.2022 से साक्ष्यवादी में लम्बित होने के उपरांत भी वादीगण द्वारा [illegible] पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा अनेकों अन्तिम अवसर देने के उपरांत वादीगण की [illegible] है। वादीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

लगाए गए आरोप बेबुनियादी एवं प्रमाणहीन है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के जिन पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश चंदेलिया पर लगाए गए आरोप एवं प्रत्यारोप के आधार पर सम्मानीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरांत न्यायालय अटरू के उपखण्ड अधिकारी ओमप्रकाश चंदेलिया का स्थानान्तरण हो गया है। नए उपखण्ड अधिकारी श्री सुनील पीपलीवाल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लगाए आरोप एवं प्रत्यारोपों के आधार पर वाद पत्रावली के अन्तरण के आधार पर मौजूद नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधित संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उभयपक्षकारान बारां में ही निवास करते हैं तथा तारीख पेशी पर सुनवाई हेतु दोनों ही पक्षों को बारां से अटरू जाना पड़ता है। कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट समय पर उपलब्ध ना हो पाने के कारण न्यायालय में समय पर उपस्थित होने में अनावश्यक विलम्ब होता है। इसी तरह के विलम्ब के चलते पीठासीन अधिकारी द्वारा वादी की साक्ष्य बंद की गई है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के आधार पर विरचित की गई तनकी वादी की साक्ष्य द्वारा ही निर्णित की जानी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/वादीगण को उपखण्ड न्यायालय अटरू से मुकदमें के न्यायप्रिय निस्तारण की संभावना नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू में विचाराधीन वाद संख्या 10/2013 बउनवान मुकदमा जुगलकिशोर बनाम सरकार को जिले के अन्य उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में अन्तरण करने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली दिनांक 23.11.2022 से साक्ष्यवादी में लम्बित होने के उपरांत भी वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा अनेकों अन्तिम अवसर देने के उपरांत वादीगण की साक्ष्य बंद की है जो विधिसम्मत है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू के जिन पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोप एवं प्रत्यारोप के आधार पर सम्मानीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के उपरांत न्यायालय अटरू के उपखण्ड अधिकारी के उन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया है। नए उपखण्ड अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लगाए आरोप एवं प्रत्यारोपों के आधार पर वाद पत्रावली के अन्तरण के आधार मौजूद नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है।अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में उभयपक्षकारान बारां में ही निवास करते हैं तथा तारीख पेशी पर बारां से ही अटरू आते जाते हैं। अतः प्रार्थीगण की आशंका को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में विचाराधीन प्रकरण संख्या 10/2013 बउनवान मुकदमा जुगलकिशोर बनाम सरकार को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अन्तरित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को भिजवावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू से पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमित रूप से सुनवाई सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारान दिनांक 16.04.2026 को सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.04.01 13:54:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)